मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२३ है.

धारा १२ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम ३ व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी. सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को किसी शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विख्यात शिक्षाविद् होने का १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने ६६ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.".

धारा १७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारियों, जिन्हें उपसचिव या उसके समकक्ष स्तर के किसी पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.".

धारा १९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के ऐसे अधिकारी, जो उपसचिव या उसके समकक्ष पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव रखते हों, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु उपबंध है. न्यायमूर्ति श्री के. के. त्रिवेदी समिति ने अनुशंसा की है कि राज्य को अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के निबन्धनों के अनुसार विश्वविद्यालय को संचालित तथा पद पूर्ति करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों से भी योग्य, अनुभवी और अन्यथा उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिनियम , २०११ में संशोधन कर यथोचित् व्यवस्था करने हेतु विचार करना चाहिए.

२. न्यायमूर्ति श्री के. के. त्रिवेदी समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा १२, १७ तथा १९ में यथोचित् संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख १० जुलाई, २०२३.

विश्वास सारंग
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १९ सन् २०११) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १२ (१)—कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जावेगी:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिऐ रजामंद न हों तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

* * * * *

धारा १७ (२)—"कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी जिन्हें आचार्य या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत आचार्य के समकक्ष या उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर कम से कम ७ वर्ष का अनुभव हो.".

* * * * *

धारा १९ (१)—"परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव हो.".

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.